

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

## आदेश-पत्रक

(दिखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० ..... से ..... तक  
केस का प्रकार TA Misc. Case No. 131/2019-20

आदेश पत्रक की संख्या वर्गम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर					आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ													
26.९.१९	<p>आवेदक/आवेदिका प्यारी जामूदा, पति-स्व० विलियम जामूदा, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-बेड़ाहुन्डरु, थाना-गोईलकेरा, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोमिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा-बुरुहुन्डरु, थाना नं०-536, थाना-गोईलकेरा, खाता नं०-05, खेसरा नं०-56, रकवा-0.10 ए० क्रेता रुडवारी बरजो उर्फ रुईवारी बरजो, पति-श्री ठेपा बरजो, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.), ग्राम-गोईलकेरा बाजार, थाना-गोईलकेरा, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोमिजो "ए./बी." के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बुरुहुन्डरु</td><td>536</td><td>गोईलकेरा</td><td>05</td><td>56</td><td>0.10 ए०</td></tr> </tbody> </table> <p>आवेदक ईलाज एवं अन्य घरेलु कार्यों में बिक्री हेतु 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.10 ए० को कुल कीमत 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोमिजो "ए./बी." के अन्तर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी गोईलकेरा से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक १६.१०.१९ तक मांग करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक १६.१०.१९ को उपरक्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">26.९.१९ भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में	बुरुहुन्डरु	536	गोईलकेरा	05	56	0.10 ए०						
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में														
बुरुहुन्डरु	536	गोईलकेरा	05	56	0.10 ए०														